न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 41/2024

अनवान : –

1. जगदीश पुत्र जसुराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 10/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 12 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 249/49 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल अपने गांव से चलकर अपने स्वयं के खेत के प0न0 383/433 मु0न0 97 के किला न0 1/2, 2/2, 3/3, 4/2 व 5/2 में उत्तरी साईड में पूर्व से पश्चिम की तरफ एक एक गठठा अपने खेत में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। यह रास्ता आगे चलकर अन्य रास्ता से जुड़ जाता है यही रास्ता खेत में आने जाने हेतु नजदीक है यही बिनाय प्रार्थना पत्र है। सायल का हमेशा से ही उक्त रास्ता से आवागमन रहा है इसके सिवाय अन्य कोई रास्ता नही है। यही रास्ता सबसे नजदीक व सुविधाजनक है।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल अपने गांव से चलकर अपने स्वयं के खेत के प0न0 383/433 मु0न0 97 के किला न0 1/2, 2/2, 3/3, 4/2 व 5/2 में उत्तरी साईड में पूर्व से पश्चिम की तरफ एक एक गठठा अपने खेत में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। यह रास्ता आगे चलकर अन्य रास्ता से जुड़ जाता है यही रास्ता खेत में आने जाने हेतु नजदीक है यही बिनाय प्रार्थना पत्र है। सायल का हमेशा से ही उक्त रास्ता से आवागमन रहा है इसके सिवाय अन्य कोई रास्ता नही है। यही रास्ता सबसे नजदीक व सुविधाजनक है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया कि ... को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण का निर्णय किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.22 10:03:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 12 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 249/49 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा अपने स्वयं की खातेदार में गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है अतः साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 12 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 249/49 के प0न0 383/433 मु0न0 97 के किला न0 1/2, 2/2, 3/3, 4/2 व 5/2 में उत्तरी साईड में पूर्व से पश्चिम की तरफ एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.22 10:03:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

क्रमांकः रीडर/रास्ता/2023/306 दिनांकः–18/03/25

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर।

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में प्रार्थना पत्र स0–41/2024 निर्णय दिनांक 10/03/2025।

प्रकरण संख्या – 41/2024
अनवान : –

1. जगदीश पुत्र जसुराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

–**प्रार्थी**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।।

– **अप्रार्थीगण**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 41/2024 अनवान जगदीश बनाम सरकार में निर्णय दिंनाक 10/3/25 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 12 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 249/49 के प0न0 383/433 मु0न0 97 के किला न0 1/2, 2/2, 3/3, 4/2 व 5/2 में उत्तरी साईड में पूर्व से पश्चिम की तरफ एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.22 10:03:16 IST
Reason: SelfAttested